

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 20/2022

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
सोहनीदेवी पत्नी श्री सहीराम जाति विश्नोई निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. भेराराम पुत्र श्री मंगाराम जाति विश्नोई, निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- प्रार्थीया की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारी लाल कंसारा एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 2/09/22

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 959 रकबा 1.0517 हैक्टेयर आई हुई है जिसके खाता संख्या 931 है। उक्त खसरे की भूमि प्रार्थीया की खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीया द्वारा काश्त हेतु व रहवास हेतु लिया जा रहा है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 959 के पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा भूमि खसरा नम्बर 954 रकबा 2.6477 हैक्टेयर स्थित है, जिसके खाता संख्या 614 है। उक्त भूमि का विक्रेता राधाकिशन पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लाम्बा व अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा आज से लगभग 45-50 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 954 की उत्तरी व पश्चिमी माट के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 954 की भूमि में से लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 959 की भूमि में आने

सहायक कलेक्टर

एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जाने हेतु आपसी सहमति से कायम किया, जिसे पूर्व में राधाकिशन के पूर्वजो द्वारा व उनके मृत्यु उपरान्त राधाकिशन द्वारा व वर्ष 2008 में खसरा नम्बर 959 की भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीद करने के बाद प्रार्थीया द्वारा उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 954 के उतर पूर्व दिशा की ओर खसरा नम्बर 939/1 किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके खाता संख्या 999 है। उक्त रास्ता ग्राम लाम्बा से मतवालों की ढाणी की ओर जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीया गै.मु. रास्ता के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 के उतर पूर्व दिशा में स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. से होकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 959 में पहुँचती है व आती जाती है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में काश्त कार्य करने हेतु अपनी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि यानि मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भूमि ही प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग से ही प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में आने जाने हेतु अपना ट्रैक्टर, मोटरसाईकिल, छकड़ा व अन्य साधन तथा मवेशी इत्यादि को लेकर आती-जाती है। अतः प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग के रास्ते को 8-10 वर्षों से उपयोग व उपभोग में लेती आ रही है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग पर निकलने वाला रास्ता, जो खसरा नम्बर 959 में पहुँचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 954 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज दिनांक 16.12.2020 से 10-12 दिन पूर्व ट्रैक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को भी खुर्द बुर्द कर दिया है तथा उक्त मार्कसुदा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 954 की उतरी माठ की ओर स्थित सीमा को रेत की माठ व उस पर पत्थर खड़े कर व तारबन्दी कर बंद कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में आने जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ता है व अपनी उक्त खातेदारी भूमि में काश्त कार्य से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि है। काश्तकार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थीया का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से प्रार्थीया को अपूर्णनीय हानि हो रही है। प्रार्थीया का मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

एफ. रास्ता को राजस्व रेकॉर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। अन्त में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 8 (क)(ख)(ग) में वर्णितानुसार अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 से तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट हेतु अलग से तहरीर जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं, इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पूर्व में पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व में रखी हुई थी परन्तु पत्रावली गुम होने से निर्णय नहीं सुनाया जा सका। जिसपर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली पुनर्स्थापन पर पुनः पूर्व नम्बर पर ही दर्ज की गयी। अप्रार्थी को पुनः तारीख पेशी से सूचित किया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से गिरधरलाल कंसारा उपस्थित हुए तथा पुनः उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 रकबा 2.8477 हैक्टेयर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर खसरा नम्बर 939/1 किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है जो राजस्व रेकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम लाम्बा से मतवालों की ढाणी की ओर जाता है, यही रास्ता आगे प्रार्थीया के पड़ौसी खेत खसरा नम्बर 958 के पास जाता है तथा दुसरा खसरा 960 के पास जाने के लिए भी यही रास्ता है वहा से प्रार्थीया जा सकती है। खसरा नम्बर 958 के पास रास्ता होने पर प्रार्थीया 958 के खसरा के मेड़ के सहारे सहारे जा सकती है। प्रार्थीया के आने-जाने का रास्ता कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से नहीं था। अत रास्ता को खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया अप्रार्थी के खेत के टुकड़े करवाना चाहती है। प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, उसी रास्ते से प्रार्थीया अपने खेत में जा सकती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 960 में जाने के लिए कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 962 के मध्य से जाता है, उस रास्ते का उपयोग भी प्रार्थीया के द्वारा किया जा सकता है। खसरा नम्बर 958 व 960 को रास्ते की जरूरत नहीं है। प्रार्थीया अपने पड़ौसी खसरा नम्बर 958 व 960 द्वारा उपयोग में लाने जाने वाले रास्ते का उपयोग पूर्व से कर रही है। प्रार्थीया के पास खसरा नम्बर 958 में आने-जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया

का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।



सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलासपुर

तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबंधित खसरो की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थीया के खेत में आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 955, 956 व 958 में से होकर मौके पर है। प्रार्थीया ने खसरा नम्बर 954 की उत्तर-पश्चिम मेड से रास्ते की मांग की है, जो प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है जो मौके पर खसरा संख्या 955, 956, 958 में से मौके पर मौजूद रास्ता है। दोनो रास्ते (वांछित व मौके पर मौजूद) प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 959 से समान दूरी पर है। अप्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर वर्तमान में कांटो की बाड़ बनाकर व लोहे की चदर बनाकर पशुओं का बाड़ा बना हुआ है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 954 में से 08 बिस्वा भूमि मौका फर्द के अनुसार बनती है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :-

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा बीघा में	डी.एल.सी. दर प्रति बीघा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	भेराराम पुत्र मंगाराम	954	0.08.00	17010	13608
	कुल योग				13608

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 954 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया जाकर संलग्न किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षकारान की बहस सुनकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 25.10.2021 द्वारा स्वीकार किया जाकर भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 954 में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता रकबा 8 बिस्वा को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया गया एवं उक्त रास्ते की भूमि के सम्बंध में प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करने हेतु आदेशित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में प्रार्थीया तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा कराने व भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03.02.2021 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जाने का व तहसीलदार बिलाड़ा आदेश मोफिक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करने एवं मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करने हेतु आदेशित किया गया।



सहायक कलेक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 25.10.2021 के विरुद्ध अप्रार्थी सं.1 /अपीलाण्ट भेराराम द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जिसके दर्ज नम्बर 82/2022 है, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.10.2021 को खारिज किया व मामला इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "वह दोनो विकल्प वाले रास्तो की दूरी की जाँच करवाकर निकटतम रास्ता निश्चित करे तथा रास्ते में आने वाले निर्माणों का भी आंकलन करे ओर कम मूल्यांकन/प्रतिकर राशि वाला विकल्प चुनकर रास्ते की समुचित चौड़ाई निर्धारित करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करे।" अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया, जिसके दर्ज नम्बर 20/2022 है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को तहरीर जारी की गयी। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक भावी की रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 पेश की गयी, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है दिनांक 25.02.2021 को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 959 में काश्त कार्य हेतु आने जाने एवं पहुंचने हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 954 में से वांछित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. व खसरा संख्या 956, 955, 958 में से मौजूद वैकल्पिक रास्ता दोनो की दूरी समान है, वांछित रास्ता व वैकल्पिक रास्ता दोनो की प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 959 से 272 फुट दूरी है। दिनांक 25.02.2021 का प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के समय प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते पर एक कच्चा छपरेनुमा निर्माण किया हुआ था जो वर्तमान में हटाया हुआ है तथा वांछित रास्ते पर वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण कार्य (कच्चा/पक्का निर्माण) नहीं है। जबकि वैकल्पिक रास्ते पर दिनांक 25.02.2021 को किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं था परन्तु आज दिनांक को वैकल्पिक रास्ते पर एक पक्का कमरा व पानी का टांका बना हुआ है, जो दिनांक 25.02.2021 को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद बनाया हुआ है, वर्तमान में वैकल्पिक रास्ते पर बनाया हुआ पक्का निर्माण कमरा लगभग 15 X 15 फुट एवं टांका लगभग 40 X 30 फुट का है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता मौके पर वर्तमान में निर्माण रहित है। जिसके खातेदार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, जबकि वैकल्पिक रास्ते पर लगभग 1400 वर्गफुट में पक्का निर्माण होने से खातेदार को निर्माण कार्य हटाने से पक्के निर्माण का नुकसान होगा। इस प्रकार तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार वांछित रास्ता व वैकल्पिक रास्ता दोनो की दूरी प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 959 से 272 फुट समान है तथा वांछित रास्ता मौके पर वर्तमान में निर्माण रहित है व वैकल्पिक रास्ते पर लगभग 1400 वर्गफुट में पक्का निर्माण है, जिसे हटाने से वैकल्पिक रास्ते के खातेदार को नुकसान होगा। अप्रार्थी संख्या 1 भेराराम के अधिवक्ता द्वारा भी तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक



सहायक कलेक्टर

एवं उप खण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

रिपोर्ट के सम्बंध में आपति हेतु बार-बार अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 14.06.2022 के अनुसार वांछित रास्ता में नुकसान नहीं होने से तथा वैकल्पिक रास्ते में नुकसान होने से प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता को ही राजकीय रास्ता घोषित किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 954 में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता रकबा 8 बिस्वा को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे एवं उक्त रास्ते की भूमि के सम्बंध में प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में प्रार्थीया तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03.02.2021 एवं तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 व उसके साथ संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



Wd
(मदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



Wd
(मदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा